

बुलडोज़र न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दशान-नरिदेश

प्रलमिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, नगरपालिका कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वधिका शासन, सममान से जीने का अधकार, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51, जनिवा कनवेंशन 1949, वधिद्वारा स्थापति परकरया, वधिकी समयक परकरया, मेनका गांधी मामला 1978, हेट स्पीच, न्यायाधकिरण, वैकल्पिक वविाद समाधान ।

मेन्स के लयि:

संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित परकरया का पालन ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने संवधान के [अनुच्छेद 142](#) के तहत अखलि भारतीय दशान-नरिदेश दयि हैं ताकयिह सुनशिचति कयि जा सके कयि नागरकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित परकरया का पालन कयि जाए ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने फंसला दयि कयि उचित परकरया का पालन कयि बनिा कसिी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना "असंवधानिक" है ।
- संबधति मामले में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को "अवैधानिक" तरीके से ध्वस्त करने को चुनौती दी गई थी, जैसा कयिहाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में देखा गया है ।

नोट: बुलडोज़र न्याय से तात्पर्य उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा (कभी-कभी उचित कानूनी परकरयाओं का पालन कयि बनिा) से है जो अक्सर अपराध के आरोपी लोगों की होती हैं ।

बुलडोज़र न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दशानरिदेश कयि हैं?

- नोटसि देना: कसिी भी परकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालकि को कम से कम 15 दनि का नोटसि दयि जाना चाहयि ।
 - नोटसि में ध्वस्त कयि जाने वाले ढाँचे का वविरण तथा ध्वस्त कयि जाने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लखिति होने चाहयि ।
- नषिपकष सुनवाई: व्यक्तगित सुनवाई के लयि नरिधारति समय देना चाहयि, जसिसे प्रभावति पकष को वधिवंस का वरिोध करने या स्थतिको स्पष्ट करने का अवसर मलि सके ।
- पारदर्शति: प्राधकिारियों को नोटसि भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या ज़लिा मजसिस्ट्रेट को ई-मेल के माध्यम से सूचति करना होगा ।
- अंतमि आदेश जारी करना: अंतमि आदेश में संपत्ति मालकि के तरक, ध्वस्तीकरण को एकमात्र वकिल्प मानने का प्राधकिारी का औचितय तथा यह कयि कयि संपूर्ण संरचना या आंशकि संरचना को ध्वस्त कयि जाना है, शामिल होना चाहयि ।
- अंतमि आदेश के बाद की अवधति: यद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कयि जाता है, तो इसके करयिान्वयन से पहले 15 दनि का समय दयि जाए, जसिसे संपत्ति मालकि को संरचना को हटाने या आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का मौका मलि सके ।
- वधिवंस का दस्तावेज़ीकरण: प्राधकिरण को वधिवंस का वीडयो रकिार्ड करना होगा और पहले से ही एक "नरिीक्षण रपिोर्ट" तैयार करनी होगी, साथ ही इसमें शामिल कर्मयियों की सूची वाली एक "वधिवंस रपिोर्ट" भी तैयार करनी होगी ।
- दोहरे उल्लंघन के लयि परीक्षण: सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लयि एक अलग परीक्षण नरिधारति कयि है, जहाँ ध्वस्त की गई संपत्ति में कसिी आरोपी का नविास हो और अवैध नरिमाण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कयिद केवल एक संरचना को ध्वस्त कयि जाता है, जबकि समान संरचनाओं को अछूता छोड़ दयि जाता है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कयि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडति करना है, न कयि अवैध नरिमाण को हटाना ।

- **अपवाद:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहाँ सड़क, गली या फुटपाथ जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप कोई अनधिकृत संरचना है तथा उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे, जहाँ न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।

अनुच्छेद 142

- संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिये आवश्यक आदेश और डिक्री पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को सम्पूर्ण न्याय करने के लिये पूरे भारत में प्रवर्तनीय आदेश पारित (राष्ट्रपतिद्वारा नरिधारित) करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 142(2) न्यायालय को उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज करने या अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति प्रदान करता है।
- समय के साथ, इस प्रावधान का उपयोग "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने और वधायी खामियों को दूर करने के लिये किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेशों का क्या महत्त्व है?

- **शक्तियों का पृथक्करण:** फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायापालिका के पास दोष तय करने तथा यह नरिधारित करने की शक्ति है कि क्या राज्य के किसी अंग ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।
 - कार्यपालिका अपने मूल कार्यों के निष्पादन में न्यायापालिका का स्थान नहीं ले सकती।
- **वधिका शासन:** न्यायालय ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के किसी को दण्ड के रूप में ध्वस्त करना कार्यपालिका के लिये अनुचित है। यह सुनिश्चित करके वधिका शासन को कायम रखता है कि राज्य की कार्रवाई संविधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे।
 - ऐसे वधिवंस जो कुछ समुदायों (जैसे झुग्गीवासियों) को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण के रूप में चुनौती दी जा सकती है।
- **अधिकारियों की जवाबदेही:** यह अनविरय करके कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से जाँच की जाए तथा वसित्त रिकॉर्ड (जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग और नरिक्षण रिपोर्ट) प्रस्तुत किए जाएँ, दशा-नरिदेशों का उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना तथा अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- **आवास का अधिकार:** सम्पूर्ण संपत्त को प्रभावित करने वाला वधिवंस, जिसमें आरोपी न होने वाले लोग भी शामिल हैं, असंविधानिक होगा क्योंकि यह आवास के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में आश्रय या आवास का अधिकार भी शामिल है।
 - अनुच्छेद 300A गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अलावा उसकी संपत्त से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि संपत्त को केवल उचित प्रक्रिया एवं वैध कानूनों के तहत ही छीना जा सकता है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण:** उचित प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायालय व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन की आड़ में अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- **जनिवा कन्वेंशन, 1949:** जनिवा कन्वेंशन 1949 का अनुच्छेद 87(3) सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है।
 - इस तरह के वधिवंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिये।

बुलडोजर न्याय एक चिता का वषिय क्यों है?

- **दंडात्मक वधिवंस में वृद्धि:** आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क (HLRN) के वर्ष 2024 के अनुमान में पाया गया कि अधिकारियों ने वर्ष 2022 और 2023 में 153,820 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 738,438 से अधिक लोग वसिथापति हो गए।
- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR):** ICCPR के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मलिकर संपत्त रखने का अधिकार है, और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्त से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **सामूहिक दंड:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ध्वस्तीकरण अभियान न केवल अपराध के कथित अपराधियों को नशाना बनाता है, बल्कि उनके नविस स्थान को नष्ट करके उनके परिवारों पर एक प्रकार का "सामूहिक दंड" भी लगाता है।
- **त्वरति न्याय:** अतिक्रमण या अनधिकृत नरिमाण के खिलाफ कार्रवाई के रूप में तोड़फोड़ को उचित ठहराया गया है। दंडात्मक हिसा के ऐसे राज्य-सवीकृत कृत्यों को "त्वरति न्याय" के रूप में सराहा गया है।

संपत्त वधिवंस से संबंधित अन्य न्यायिक घोषणाएँ

- **मेनका गांधी केस, 1978:** सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून द्वारा सथापित प्रक्रिया" के दायरे का वसितार करते हुए नरिणय दिया कि यह न्यायसंगत, निषिक्ष और उचित होनी चाहिये, जिससे "कानून की उचित प्रक्रिया" के सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ।

- इसलिये संदेह या नरिधार आरोपों के आधार पर की गई तोड़फोड़ न्याय, नषिपक्षता और गैर-मनमानी के सदिधांतों के वपिरीत है।
- ओलगा टेलसि केस, 1985: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टिकी कजिजीवन के अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 21 में आजीविका और आशर्य का अधिकार भी शामिल है।
 - इसका अरथ है कबिना उचति प्रकरया के घरों को धवसत करना संवैधानकि अधिकारों का उल्लंघन है।
- के.टी. प्लांटेशन (P) लमिटिड केस, 2011: सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दया कजि अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्तिसे वंचति करने का प्रावधान करने वाला कानून न्यायसंगत, नषिपक्ष और उचति होना चाहयि।

सर्वोच्च न्यायालय दशा-नरिदेशों के कार्यानवयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- राजनीतकि इच्छाशक्तपर नरिभरता: प्रतशिोध या नवारण के रूप में वधिवंस का उपयोग करने का राजनीतकि दबाव, वशिष रूप से राजनीतकि रूप से आवेशति वातावरण में, बना रह सकता है।
- दंड से मुक्तकी संसकृत: हालाँकजि दशा-नरिदेश अधिकारयिों पर जवाबदेही थोपते हैं, लेकनजि ऐतहिसकि उदाहरण, जैसे कजि हेट सपीच या मॉब लचिगि जैसे मुद्दों को संबोधति करने के लयि न्यायालय के पछिले प्रयास, यह सुझाव देते हैं कजि इसी तरह के प्रयासों से हमेशा परयाप्त परणाम या जवाबदेही नहीं मली है।
- नगरानी का अभाव: यह जोखमि बना रहता है कजि स्थानीय प्राधिकारी या अधिकारी इन नयिमों को दरकनार करने के तरीके ढूँढ लेंगे, वशिष रूप से उन कषेत्रों में जहाँ न्यायकि नगरानी कमजोर है।
- दीर्घकालकि सांसकृतकि परविरतन: अकेले दशा-नरिदेश व्यापक सांसकृतकि और संस्थागत प्रथाओं को बदलने के लयि परयाप्त नहीं हो सकते हैं जो इस तरह की काररवाइयों की अनुमति देते हैं।

आगे की राह

- कानून के शासन को कायम रखना: सभी राज्ज काररवाई कानून के सख्त अनुपालन में होनी चाहयि। कानूनी प्रणाली को आपराधकि न्याय और सामूहकि दंड के बीच अंतर करना चाहयि, यह सुनशिचति करते हुए कनरिदोषता की धारणा कायम रहे।
- न्यायकि नगरानी को बढ़ाना: संपत्तकि वधिवंस से संबंधति वविदों से वशिष रूप से नपिटने के लयि वशिष न्यायाधकिरणों की स्थापना की जानी चाहयि, जनिके पास सरकारी नरिणयों की समीकषा करने की शक्तयिाँ हों।
- वैकल्पकि वविद समाधान: संपत्ति अधिकारों और वधिवंस से संबंधति वविदों को हल करने के प्रभावी तरीके के रूप में मध्यस्थता और पंचनरिणय जैसे तंत्रों को सकरयि रूप से बढ़ावा दया जाना चाहयि।
- पुनरवास योजनाएँ: वधिवंस से प्रभावति व्यक्तयिों के लयि वसितृत पुनरवास योजनाएँ बनाना महत्त्वपूर्ण है, जसिमें वैकल्पकि आवास, आजीविका सहायता और मानसकि स्वास्थय सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान हो।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: 'बुलडोजर न्याय' के संदर्भ में संपत्ति वधिवंस पर सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश कसि प्रकार उचति प्रकरया, पारदर्शति और जवाबदेही के सदिधांतों को सुदृढ करते हैं?